

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:-..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2017-18 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-12.01.2019 से 14.01.2019 को चयनित लघु ऋण क्र. सं.-01 एवं वृहत ऋण क्र. सं.-02 के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा समस्तीपुर जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित करकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1660 दिनांक 25.10.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है:-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge- 2030/-	Net Payable Amount
1.	15/376	SANJIDA KHATUN, W/o- MD SHAMIM, Vill.-AKBARPUR, Block-WARISNAGAR, PS-WARISNAGAR, PO-MATURAPUR, Distt.-SAMASTIPUR-848101, Mob. 7280058480	A/c No.:- 20390462302 SBIN0006388	READY MADE	100000	500	2030	97470
2.	प्रतिक्षा सूची 14/404	IMTEYAZ AHMAD, S/o- MD SULTAN AHMAD, Vill.-SHAHUPUR BAGHAUNI, Block-TAJPUR, PS-WAINI, PO-SHAHPUR BAGHAUNI, Distt.-SAMASTIPUR-848131, Mob. 9955723617	A/c No.:- 31031744976 SBIN0012557	READY MADE	200000	1000	2030	196970
TOTAL					300000	1500	4060	294440

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापांक:- 888

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/

लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी एवं आई० टी० मैनेजर को सम्बन्धित बैंक को ई-मेल हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 21-3-2022

प्रबंध निदेशक